प्रकरण संख्या 12/2022 भुवनेश्वरी व अन्य बनाम विनोद व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट मृतक दिनेश ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी की खाता संख्या 544 नया, 455, 535 पुराना की कुल आराजियात 31 रकबा 2.82 हैक्टर भूमि वाके ग्राम आंजना, तहसील गढ़ी में स्थित है। वादी अपने खेतों को आधुनिक तरीके से सुधारना चाहता है व सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करना चाहता है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित विवादित आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर पक्षकारान की सहमति से दिनांक 31.05.2016 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 30.07.2019 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.07.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक जोशी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट के ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। वर्ष 2022 में अपीलान्ट फसल बुवाई की तैयारी कर रहे थे तभी रेस्पोन्डेन्ट मौके पर आये और बताया कि यह खेत हमारे नाम दर्ज है। जानकारी होते ही नकले प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:17 IST
Reason: Self Attested

पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि फर्द बंटवारा कब्जे अनुसार तैयार नहीं किया गया है तथा विभाजन में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का ध्यान नहीं रखा गया है तथा रेस्पोन्डेन्ट के हिस्से में ज्यादा भूमि रखी गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा विधि अनुसार मौके पर किये गये बंटवारे अनुसार विधिवत बंटवारा किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक पालना करते हुए अंतिम डिक्री जारी की गयी है तथा सभी पक्षकारान को अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि दी गयी है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि अपीलान्ट/वादी के खाते में रकबा 1.13 हैक्टर रखा गया है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी के खाते में 1.69 हैक्टर रकबा रखा गया है, जिससे स्पष्ट है कि वादी/अपीलान्ट के खाते में 0.56 हैक्टर भूमि कम रखी गयी है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना की जाना प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 83/2015 निर्णय एवं अंतिम डिक्री 30.07.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.08.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
पीठासीन अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:17 IST
Reason: SelfAttested